भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 628
24.07.2022 को उत्तर के लिए

रेलगाड़ियों द्वारा हाथियों की मृत्यु

628. डॉ. थोल तिरूमावलवन

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में षोरणूर और तमिलनाडु में होसूर के बीच रेलवे वन खंडों में चलने वाली रेलगाड़ियों द्वारा हाथियों की दुर्घटनावश मृत्यु की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो इन रेल खंडों में हाथियों की मौतों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास इन खंडों में हाथियों की दुर्घटनावश मृत्यु को रोकने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) केरल और तमिलनाडु राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल में पलक्कड़ प्रभाग की वालयार रेंज और तमिलनाडु में होसुर के बीच रेल वन खंडों में रेल दुर्घटनाओं के कारण हुई हाथियों की मौतों की संख्या इस प्रकार है।

क्र. सं.	स्थान	वर्ष	हाथी की मोतों की संख्या
1.	केरल के पलक्कड़ प्रभाग की वालयार रेंज	2018	1
		2019	3
		2022	2
2.	केलमंगलम रायकोट्टई ट्रैक, होसुर वन प्रभाग, तमिलनाडु	2013	2
		2023	5

(ग) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के समन्वय के साथ रेल पटरियों पर हाथियों की मौतों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। किए गए निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) रेल-प्रेरित हाथी मृत्यु दर के मुद्दे से पूर्णतः निपटने के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठक बुलाई गई।

(ii) रेलगाड़ी दुर्घटना में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(iii) सुझाए गए उपायों को लागू करने के अनुरोध के साथ दिनांक 30 मार्च, 2010 को रेल मंत्रालय एवं पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधकों को एक सामान्य परमर्शिका जारी की गई है।

(iv) मंत्रालय ने माननीय एनजीटी के दिनांक 8 जुलाई, 2021 के निर्देश के अनुपालन में तमिलनाडु और केरल में रेलगाड़ी की टक्कर से हाथियों की मौत की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने सितंबर 2021 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रेलगाड़ी की टक्कर से हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेलवे, तमिलनाडु और केरल राज्य वन विभागों (एसएफडी) के लिए सिफारिशों का सुझाव दिया गया है। रेलगाड़ी की टक्कर से हाथियों की मौत को रोकने के लिए उचित उपाय करने हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राज्य वन विभागों, रेलवे और अन्य संबंधित हितधारकों को भेज दी गई है।

(v) भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने भारत में हाथियों के पर्यावास से गुजरने वाली रेल पटरियों के संबंध में उपशमन उपाय सुझाने हेतु सामान्य दिशानिर्देश विकसित किए हैं।

(vi) यह मंत्रालय, लगातार रेल मंत्रालय के साथ बैठकें आयोजित कर रहा है और हाथी अतिक्रमण प्रणाली और हाथी अवाजाही का पता लगाने और चेतावनी देने की कुशल प्रणाली जैसे शमन उपाय कर रहा है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने दिनांक 21 जून, 2023 को वन्यजीव-रेल टकराव को कम करने और उचित उपशमन उपायों को अंतिम रूप देने के लिए स्थायी उपशमन उपायों के निर्माण हेतु मौजूदा रेलवे लाइनों के 110 संवेदनशील हिस्सों के संयुक्त सर्वेक्षण (रेलवे और डब्ल्यूआईआई के साथ) को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों को 'भारत में हाथी पर्यावासों से गुजरने वाली रेल पटरियों पर उपशमन उपायों का सुझाव देने हेतु सामान्य दिशानिर्देशों' के साथ एक पत्र जारी किया था।

(vii) चिन्हित हाथी गलियारों और पर्यावासों में स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंध लगाना।

(viii) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से एक दस्तावेज नामत: 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों के उपशमन के लिए पारि-हितैषी उपाय' प्रकाशित किया है जिसका उद्देश्य विद्युत पारेषण लाइनों सहित रेखीय अवंसरचना को डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता करना है जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो सके।

******